केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

सीबीएसई/सीई/विवाद-समाधान/2021 **दिनांक : 08.08.2021**

परिपत्र

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुश्री ममता शर्मा बनाम सीबीएसई के दिनांक 17.06.2021 के प्रकरण में 2021 की WP सिविल नंबर 522 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, बोर्ड द्वारा सीबीएसई/सीई/2021 दिनांक 17.06.2021 के माध्यम से कक्षा बारहवीं परीक्षा 2020-2021 के लिए अंकों के सारणीकरण हेतु नीति जारी की है| परिणामों की घोषणा के बाद यदि अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं सीबीएसई द्वारा छात्रों को निम्नलिखित दो सुविधाएं प्रदान की गई हैं :-

1. जो छात्र नीति के आधार पर किए गए निर्धारण/आकलन से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाएगा, जब परीक्षा आयोजित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। इस नीति के अनुसार, बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा।
2. परिणामों की संगणना के संबंध में विवाद सीबीएसई द्वारा गठित एक समिति को भेजा जाएगा।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 में वर्णित सुविधा के संबंध में अलग से सूचना जारी की जा रही है। तथापि, जहां तक बिंदु संख्या 2 पर सुविधा का संबंध है, निम्नलिखित सूचना दी जा रही है।

1. समाविष्ट किए गए मामलों / विवादों के प्रकार

(क) <u>टाइप – 1 और टाइप 2 विवाद क्या हैं</u>

परिणामों की संगणना के संबंध में विवाद

सीबीएसई के निर्देशानुसार गठित परिणाम समिति द्वारा घटकों का निम्नलिखित प्रतिशत लेकर परिणाम तैयार किया गया है:-

कक्षा 12	यूनिट टेस्ट / मिड-टर्म / प्री-बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंक	40%
कक्षा 11	अंतिम परीक्षा के सिद्धांत घटक पर आधारित अंक	30%
कक्षा 10	मुख्य 5 विषयों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन विषयों के औसत सिद्धांत घटक के आधार पर अंक	30%

परिणाम समिति ने परिणाम तैयार करके इसकी संगणना के लिए इसे सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यदि अभ्यर्थियों को लगता है कि वे अपने दिए गए अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे सत्यापन के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को अभ्यावेदन दे सकते हैं और संबंधित अभ्यर्थी को स्कूल जवाब दे सकते हैं।

(ख) <u>टाइप – 3 विवाद क्या हैं</u>

गलत संगणना/परिणाम अपलोड करने के संबंध में विवाद

जब किसी भी परिणाम समिति ने स्वयं अर्थात बिना किसी छात्र के अभ्यावेदन के यह पाया कि उनके द्वारा अंकों की गणना/ फीडिंग में गलती की गई है/ कोई अन्य तथ्यात्मक गलती की गई है।

(ग) <u>टाइप – 4 विवाद क्या हैं</u>

नीति संबंधी विवाद

यह नीति भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2021 द्वारा अनुमोदित की है। अनुमोदित सारणीकरण नीति के अनुपालन में समस्त परिणाम समितियों द्वारा परिणाम तैयार किया गया है। इस नीति के विरुद्ध कोई विवाद, यदि हो तो वह इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा।

2. विवाद टाइप - 1 को संबोधित करने की कार्य-रीति (त्रुटि रहित मामले)

(ए) चूंकि यह मामला अभ्यर्थियों से संबंधित है, इसलिए प्रक्रिया छात्र के एक आवेदन से शुरू होगी जिसमें उसके दावों और उनके आधारों का पूरा विवरण होगा।

(बी) स्कूल अभ्यावेदन की प्राप्ति को ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दर्ज करेगा और रिकॉर्ड रखेगा।

(सी) परिणाम समिति जो परिणाम तैयार करने में शामिल थी, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए तथ्यों का नीति के आलोक में

सख्ती से सत्यापन करेगी। समिति छात्र के दावे पर निर्णय लेने से पहले सभी अभिलेखों और तर्काधार दस्तावेजों की जांच करेगी।

(डी) तथ्यों के सत्यापन के बाद निम्नलिखित दो परिणाम हो सकते हैं: -

(i) घोषित परिणाम सही पाया गया (टाइप -1)

(ii) घोषित परिणाम सही नहीं पाया गया (टाइप-2)

(ई) यदि परिणाम की घोषणा सही पाई जाती है, तो संबंधित अभ्यर्थी को एक उत्तर भेजा जाएगा कि परिणाम समिति ने अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद पाया है कि घोषित परिणाम नीति के अनुसार है और कोई गलती नहीं पाई गई है। इसलिए विवाद का समाधान किया जाता है।

(एफ) स्कूल ऐसे सभी प्राप्त मामलों का पूरा रिकॉर्ड रखेगा।

3. विवाद प्रकार-2 को संबोधित करने की कार्य-रीति (गलती वाले मामले)

(ए) जब किसी छात्र से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर परिणाम समिति द्वारा गलती पाई गई, तो परिणाम समिति सभी अभिलेखों के साथ इसकी सूचना स्कूल के प्रधानाचार्य को देगी और यह कि गलती कैसे हुई और इसका पहले के चरण में अंक जमा करने और वास्तविक अनुशोधन के समय अन्य छात्रों के अंकों पर दावों का क्या प्रभाव होता। विद्यालय के प्राचार्य/समिति के अध्यक्ष अभ्यावेदन को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मार्क /अंकित करेंगे। अब यह विवाद टाइप-2 हो जाएगा।

(बी) टाइप -2 मामलों के संबंध में स्कूल की रिपोर्ट को क्षेत्रीय कार्यालय के गोपनीय अनुभाग में सख्ती से नीति के आलोक में निपटाया जाएगा और मामले का निर्णय आरओ द्वारा सख्ती से नीति के आलोक में मौजूदा दिशानिर्देशों के अवलोकन में किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परिणाम सारणी पत्रक का आवश्यक अद्यतनीकरण किया जायेगा तथा ऐसे सभी मामलों का संकलन सिफारिशों के साथ परिणाम को अद्यतन करने के लिए मुख्यालय को भेजा जाएगा।

(सी) स्कूल का यह आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय को केवल "स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रिजॉल्यूशन (एसआरएसआर)" प्रणाली के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसका लिंक स्कूल लॉग-इन में उपलब्ध होगा।

ऐसे दावे प्रस्तुत करते समय स्कूल वेबलिंक पर उपयुक्त कक्षा और "प्रकार-2 (परिणामों की संगणना के संबंध में विवाद)" का चयन करेगा।

4. विवाद प्रकार-3 को संबोधित करने की कार्य-रीति

(ए) स्कूल केवल "स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रिजॉल्यूशन (एसआरएसआर)" सिस्टम के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रिकॉर्ड के साथ विस्तृत अनुरोध भेजेगा, जिसका लिंक स्कूल लॉग-इन में उपलब्ध होगा। इस तरह के दावों को प्रस्तुत करते समय स्कूल वेबलिंक पर उपयुक्त कक्षा और "टाइप -3 (गलत संगणना / परिणाम अपलोड करना)" का चयन करेगा।

(बी) एक समिति निम्नलिखित को शामिल करते हुए अभ्यावेदन की तथ्यता और सत्यता का सत्यापन करेगी: -

(i) उपायुक्त केवीएस/एनवीएस/उप निदेशक, राज्य शिक्षा विभाग/नगर समन्वयक

(ii) सहायक सचिव परीक्षा, सीबीएसई

(iii) प्रिंसिपल केवीएस/एनवीएस

(iv) स्वतंत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य

(सी) समिति अपनी सिफ़ारिश संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उसका सत्यापन किया जाएगा और क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।

(डी) यदि अभ्यावेदन सही नहीं पाया जाता है, तो क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित विद्यालय को तदनुसार उत्तर देगा।

(ई) यदि अभ्यावेदन सही पाया जाता है, तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवश्यक अद्यतनीकरण किया जाएगा और ऐसे सभी मामलों का संकलन परिणाम के अद्यतन के लिए मुख्यालय को भेजा जाएगा।

5. विवाद प्रकार-4 को संबोधित करने की कार्य-रीति

(ए) स्कूल का यह आवेदन केवल "स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रिजॉल्यूशन (एसआरएसआर)" प्रणाली के माध्यम से बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसका लिंक स्कूल लॉग-इन में उपलब्ध होगा। इस तरह के दावे प्रस्तुत करते समय स्कूल

वेबलिंक पर उपयुक्त कक्षा और "प्रकार -4 (नीति के संबंध में विवाद)" का चयन करेगा।
(बी) दावे के अंतर्गत स्पष्ट बोधगम्य शर्तों में दावे का पूरा विवरण होना चाहिए।

(सी) विवादों को निम्नलिखित समिति के समक्ष रखा जाएगा:-

(i) बोर्ड का एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।
(ii) बोर्ड का एक अधिकारी जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो।
(iii) संबद्ध स्कूल का एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य।

(डी) समिति परीक्षा नियंत्रक को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। उसका सत्यापन किया जाएगा और परीक्षा नियंत्रक द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।

(ई) यदि अभ्यावेदन सही नहीं पाया जाता है, तो सीबीएसई, समन्वय इकाई संबंधित स्कूल को उत्तर देगी।

(एफ) यदि अभ्यावेदन सही पाया जाता है, तो समन्वय इकाई, मुख्यालय आवश्यक आगे की कार्रवाई करेगी।

6. **गतिविधियों की अनुसूची**

टाइप-1	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि	परिणाम समिति द्वारा प्रक्रिया	
			प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
	09.08.2021	11.08.2021	10.08.2021	13.08.2021

टाइप-2	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
	11.08.2021	14.08.2021	12.08.2021	16.08.2021

टाइप-3	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
	10.08.2021	12.08.2021	11.08.2021	14.08.2021

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

1. यह ध्यान दिया जाए कि छात्र परिणाम समिति द्वारा प्रयोग कि गई अंकों की संगणना की पद्धति या स्कूल द्वारा अंकों को बढ़ाने/घटाने के लिए लागू किए गए मॉडरेशन को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।
2. छात्र/ विद्यालय अभ्यावेदन की विषय-वस्तु में परीक्षा का नाम अर्थात दसवीं/बारहवीं कक्षा का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।
3. अभ्यावेदन में निम्नलिखित कालानुक्रमिक क्रम में सारी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होनी चाहिए: -
   (ए) दसवीं / बारहवीं कक्षा
   (बी) स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में उठाया गया विवाद और अभ्यावेदन
   (सी) विवाद के समर्थन में तथ्य, आंकड़े और रिकॉर्ड यदि कोई हो।
   (डी) अभ्यर्थी का पूरा विवरण जैसे नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, विषय, ईमेल और मोबाइल नंबर आदि।
4. बारहवीं कक्षा से संबंधित विवादों को पहले और प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाएगा।
5. बारहवीं कक्षा के मामलों की निकासी के बाद दसवीं कक्षा से संबंधित विवादों को संबोधित किया जाएगा।
6. स्कूल/सीबीएसई पर किसी भी तरह का दबाव बनाने पर नियम व उपविधियों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
7. छात्रों को नीति के विरुद्ध कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से बचना चाहिए।

8. चूंकि वर्तमान वर्ष का परिणाम पिछले कई वर्षों में सबसे अच्छा है और चूंकि परिणाम अनुमोदित नीति के अनुसार तैयार और घोषित किया गया है, माता-पिता और छात्रों को बिना किसी वैध आधार के परिणाम को चुनौती नहीं देनी चाहिए।

9. जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय सहित किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने विवाद के अंतिम निपटान की प्रतीक्षा किए बिना संबंधित संस्थान में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। नियंत्रण से बाहर की स्थितियों के कारण हुई किसी भी देरी के लिए सीबीएसई / स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा।

10. जो छात्र सीबीएसई द्वारा आयोजित कंपार्टमेंट / वैकल्पिक परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं, वे भी अपने विवाद के अंतिम निपटान की प्रतीक्षा किए बिना इसके लिए आवेदन करें।

11. अभ्यावेदन में अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने पर अभ्यावेदन रद्द हो जाएगा और उस पर पुन: विचार नहीं किया जाएगा।

12. समिति/सीबीएसई द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और आवेदक उम्मीदवारों/विद्यालयों के लिए बाध्यकारी होगा।

13. सीबीएसई को पूर्व में भेजे गए सभी पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा और सभी संबंधितों को इस अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए पुन: अभ्यावेदन देना होगा।

14. संबंधित स्कूल (स्कूलों) को विवादों के निपटान के लिए किए गए विविध व्यय के लिए सीबीएसई द्वारा 5000 रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) की एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा।

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु वेब एडमिन को ।